

भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग I, खंड I में प्रकाशनार्थ

फा. सं. 6/41/2026-डीजीटीआर

भारत सरकार

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

वाणिज्य विभाग

व्यापार उपचार महानिदेशालय

चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग,

5, संसद मार्ग, नई दिल्ली - 110001

दिनांक : 22 सितम्बर, 2026

सेतु मामला आईडी - एडी/ओआई/045/2026

जांच शुरुआत अधिसूचना

विषय: "चीन जनवादी गणराज्य के मूल के अथवा वहां से निर्यातित 'ग्लाइसिन' " के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरुआत।

1. फा.सं. 6/41/2026-डीजीटीआर: समय-समय पर यथा संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा गया है) तथा सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनपर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे 'नियमावली' या 'पाटनरोधी नियमावली' कहा गया है), को ध्यान में रखते हुए, एविड ऑर्गेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड (जिसे आगे "आवेदक" भी कहा गया है) ने निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिनहें आगे "प्राधिकारी" कहा गया है) के समक्ष "ग्लाइसिन" (जिसे आगे "संबद्ध वस्तु" या "विचाराधीन उत्पाद" अथवा "पीयूसी" कहा गया है) के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरू करने हेतु एक आवेदन दायर किया है।
2. वर्तमान आवेदन में चीन जनवादी गणराज्य के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों के विरुद्ध पाटनरोधी जांच का अनुरोध किया गया है। अतः, प्राधिकारी ने वर्तमान जांच में चीन जनवादी गणराज्य को संबद्ध देश के रूप में माना है।
3. आवेदक ने आरोप लगाया है कि संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को काफी अधिक क्षति पहुंच रही है तथा संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया है।

क. विचाराधीन उत्पाद

4. वर्तमान आवेदन में विचाराधीन उत्पाद "ग्लाइसिन" है।
5. ग्लाइसिन सामान्यतः एक सफेद, गंधहीन और स्वाद में मीठा पदार्थ होता है। अपने सूखे रूप में, जो कि इसका सामान्य विक्रय रूप है, यह नमक अथवा चीनी की तरह एक क्रिस्टलीय पदार्थ होता है। ग्लाइसिन का उत्पादन एवं विक्रय विभिन्न शुद्धताओं या ग्रेडों में किया जाता है तथा इसकी शुद्धता या ग्रेड के स्तर के आधार पर इसके कई व्यापारिक नाम हैं, मुख्य रूप से: कूड, औद्योगिक, तकनीकी-ग्रेड, फीड-ग्रेड, खाद्य-ग्रेड, ईपी ग्रेड या यूएसपी-ग्रेड और फार्मास्यूटिकल-ग्रेड (इंजेक्टेबल ग्रेड)। वर्तमान जांच के दायरे में सभी ग्रेडों का ग्लाइसिन शामिल है।
6. ग्लाइसिन सबसे छोटा और सरल गैर-आवश्यक अमीनो एसिड है, जो एक महत्वपूर्ण प्रोटीनोजेनिक निर्माण खंड, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में निरोधात्मक न्यूरोट्रांसमीटर तथा कोलेजन संश्लेषण में मुख्य घटक के रूप में कार्य करता है। औद्योगिक रूप से इसका उपयोग स्वाद बढ़ाने वाले, बफरिंग एजेंट, फार्मास्यूटिकल घटक और रासायनिक मध्यवर्ती के रूप में किया जाता है। ग्लाइसिन को बाजार में विभिन्न ग्रेडों में बेचा जाता है, जो कीमत के अतिरिक्त इसके अंतिम उपयोग को भी निर्धारित करता है।
7. ग्लाइसिन के विभिन्न ग्रेडों के अनुप्रयोग निम्नलिखित हैं:
 - i. *फार्मास्यूटिकल ग्रेड (इंजेक्टेबल ग्रेड):* इसका उपयोग फार्मास्यूटिकल यौगिकों के निर्माण में एक्सीपिएंट या एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रीडिएंट ("एपीआई") के रूप में किया जाता है।
 - ii. *यूएसपी/आईपी ग्रेड (जिसे खाद्य ग्रेड के रूप में भी जाना जाता है):* इसे मानव उपभोग के उत्पादों, जैसे कि स्वीटनर या स्वाद वर्धक के रूप में उपयोग हेतु बेचा जाता है।
 - iii. *तकनीकी ग्रेड :* इसे औद्योगिक अनुप्रयोगों, कृषि और रासायनिक मध्यवर्ती के रूप में अनुप्रयोगों हेतु बेचा जाता है।
 - iv. *फीड ग्रेड:* इसका उपयोग पोल्ट्री, पशुधन और पालतू पशुओं के आहार में अमीनो एसिड पूरक के रूप में किया जाता है।
8. विचाराधीन उत्पाद के विभिन्न ग्रेडों में शुद्धता सहित लगभग समान विनिर्देशन होते हैं; यद्यपि, विभिन्न अनुप्रयोगों के प्रयोजनार्थ इनका विभेदक कारक किसी विशिष्ट उपयोग के लिए अतिरिक्त गुणवत्ता परीक्षण है। ये मानक बाध्यकारी या अनिवार्य नहीं हैं, किंतु कतिपय ग्रेडों के लिए अतिरिक्त परीक्षणों का प्रावधान करते हैं।

माप की इकाई

9. विचाराधीन उत्पाद के लिए निर्धारित माप की इकाई मीट्रिक टन (एमटी) या

किलोग्राम (किग्रा.) है।

टैरिफ वर्गीकरण

10. विचाराधीन उत्पाद सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की प्रथम अनुसूची के अध्याय 29 के अंतर्गत, विशेष रूप से उप-शीर्ष 29224910 और 29224990 के तहत वर्गीकृत है। वर्तमान में यह उत्पाद विभिन्न टैरिफ शीर्षों 29224910 और 29224990 के तहत आयात किया जाता है। आवेदक ने यह भी आरोप लगाया है कि विचाराधीन उत्पाद का आयात किसी अन्य शीर्ष/टैरिफ मद के तहत भी किया जा सकता है। तथापि, सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

11. आवेदक ने अपने आवेदन में किसी उत्पाद नियंत्रण संख्या (पीसीएन) पद्धति का प्रस्ताव नहीं किया है। वर्तमान जांच के पक्षकार जांच की शुरुआत की सूचना की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत कर सकते हैं और उत्पाद नियंत्रण संख्या (पीसीएन) पद्धति, यदि कोई हो, का प्रस्ताव कर सकते हैं।

ख. समान वस्तु

12. आवेदक ने बताया है कि आवेदक द्वारा उत्पादित वस्तु और संबद्ध देश से निर्यातित वस्तु में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है। आवेदक द्वारा उत्पादित वस्तु और संबद्ध देश से आयातित वस्तु भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और उपयोगों, उत्पाद विनिर्देशनों, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा संबद्ध वस्तु के टैरिफ वर्गीकरण की दृष्टि से तुलनीय हैं। संबद्ध वस्तु और आवेदक द्वारा विनिर्मित वस्तु तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। आवेदक ने दावा किया है कि विचाराधीन उत्पाद के उपभोक्ता संबद्ध वस्तु और आवेदक द्वारा विनिर्मित वस्तु का उपयोग एक दूसरे के स्थान पर कर रहे हैं। इस प्रकार, वर्तमान जांच की शुरुआत के प्रयोजनार्थ, आवेदक द्वारा उत्पादित वस्तु को संबद्ध देश से आयात की जा रही वस्तु के प्रथम दृष्टया समान वस्तु माना गया है।

ग. संबद्ध देश

13. वर्तमान जांच में संबद्ध देश चीन जनवादी गणराज्य है।

घ. जांच अवधि (पीओआई)

14. प्राधिकारी ने 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 (12 महीने) की अवधि को वर्तमान जांच के लिए जांच अवधि (जिसे आगे "पीओआई" भी कहा गया है) के रूप में माना है। क्षति जांच अवधि में 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023, 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024, 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 और जांच अवधि शामिल होगी।

इ. घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति

15. नियम 2(ख) के अनुसार घरेलू उद्योग को इस प्रकार परिभाषित किया गया है:

"घरेलू उद्योग" से समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़ी किसी भी गतिविधि में संलग्न समग्र रूप से घरेलू उत्पादक या वे उत्पादक अभिप्रेत हैं जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उस वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक प्रमुख हिस्सा बनता है; किंतु उन मामलों में जहां ऐसे उत्पादक कथित रूप से पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित हों या वे स्वयं उसके आयातक हों, ऐसी स्थिति में "घरेलू उद्योग" शब्दों का अर्थ शेष उत्पादकों से लगाया जाएगा।"

16. यह आवेदन एविड ऑर्गेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत किया गया है। आवेदक ने अनुरोध किया है कि उन्होंने संबद्ध देश से विचाराधीन वस्तु का आयात नहीं किया है तथा वे संबद्ध देश के उत्पादकों एवं निर्यातकों से संबंधित नहीं हैं। आवेदक ने बताया है कि जांच अवधि के दौरान विचाराधीन वस्तु के कुल भारतीय उत्पादन में उनका हिस्सा 66% है।

17. रिकॉर्ड में उपलब्ध जानकारी के अनुसार, प्राधिकारी यह मानते हैं कि आवेदक पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के अंतर्गत पात्र घरेलू उद्योग का गठन करता है और यह आवेदन पाटनरोधी नियमावली के नियम 5(3) की आवश्यकताओं को पूरा करता है।

च. कथित पाटन का आधार

क) चीन जनवादी गणराज्य के लिए सामान्य मूल्य

18. आवेदक ने दावा किया है कि चीन जनवादी गणराज्य को एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था माना जाना चाहिए और पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 के नियम 7 के अनुसार सामान्य मूल्य निर्धारित किया जाना चाहिए। आवेदक ने पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 8(2) का उल्लेख करते हुए अनुरोध किया है कि

चीन के उत्पादकों को अनुबंध-1 के पैरा 8(3) के अनुसार यह प्रमाणित करने का निर्देश दिया जाना चाहिए कि विचाराधीन वस्तु का उत्पादन करने वाले उद्योग में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां विद्यमान हैं। आवेदक ने दावा किया है कि चीन जनवादी गणराज्य के लिए सामान्य मूल्य पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 और 8 के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए।

19. आवेदक ने अनुरोध किया है कि किसी बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में कीमत या परिकल्पित कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित करने के प्रयास किए गए थे। तथापि, आवेदक को किसी तीसरे बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश में कीमत अथवा लागत के संबंध में कोई विश्वसनीय जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी। अतः, कच्चे माल और सुविधाओं की लागत के सर्वोत्तम उपलब्ध अनुमानों के आधार पर अन्य विनिर्माण, सामान्य और प्रशासनिक अतिरिक्त खर्चों तथा उचित लाभ मार्जिन को जोड़कर सामान्य मूल्य का निर्धारण किया गया है।

ख) निर्यात कीमत

20. आवेदक ने अपनी बाजार आसूचना के अनुसार आयात की मात्रा और कीमत को ध्यान में रखते हुए संबद्ध देश के लिए निर्यात कीमत निर्धारित की है। तथापि, संबद्ध देश से विचाराधीन वस्तु की निर्यात कीमत का निर्धारण करने के प्रयोजनार्थ, कारखाना-द्वारा निर्यात कीमत ज्ञात करने के लिए डीजी सिस्टम्स के आंकड़ों को अपनाया गया है। इसमें समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा तथा अन्य संबंधित खर्चों के मद में आवश्यक समायोजन किए गए हैं।

ग) पाटन मार्जिन

21. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की तुलना कारखाना द्वार स्तर पर की गई है, जिससे प्रथम दृष्टया यह प्रदर्शित होता है कि संबद्ध देश से निर्यातित विचाराधीन वस्तु के संबंध में पाटन मार्जिन निर्धारित न्यूनतम सीमा से अधिक और पर्याप्त रूप से महत्वपूर्ण है। इस प्रकार, इस बात के प्रथम दृष्टया साक्ष्य मौजूद हैं कि संबद्ध देश के निर्यातकों द्वारा भारतीय बाजार में विचाराधीन वस्तु का पाटन किया जा रहा है।

छ. क्षति और कारणात्मक संबंध के साक्ष्य

22. आवेदक ने पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को हुई क्षति के संबंध में प्रथम दृष्टया साक्ष्य उपलब्ध कराए हैं। संबद्ध देश से विचाराधीन आयातों की मात्रा

में समग्र रूप से वृद्धि हुई है। आयातों के कारण कीमतों के न्यूनीकरण के साक्ष्य मौजूद हैं। इन आयातों का घरेलू उद्योग के प्रचालन संबंधी निष्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

23. उपर्युक्त तथ्यों को देखते हुए, प्राधिकारी प्रथम दृष्टया यह पाते हैं कि संबद्ध देश में मूल के अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन वस्तु के पाटन, घरेलू उद्योग को हुई क्षति और कथित पाटन एवं क्षति के बीच कारणात्मक संबंध के पर्याप्त साक्ष्य विद्यमान हैं, जो नियमावली के नियम 5 के तहत पाटनरोधी जांच की शुरुआत करने के लिए न्यायोचित हैं ताकि कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव को निर्धारित किया जा सके तथा पाटनरोधी शुल्क की ऐसी राशि की सिफारिश की जा सके, जिसे यदि लगाया जाए तो घरेलू उद्योग को हुई क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगी।

ज. पाटनरोधी जांच की शुरुआत

24. आवेदक द्वारा प्रस्तुत विधिवत रूप से साक्ष्यांकित लिखित आवेदन के आधार पर और संबद्ध देश में मूल अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन वस्तु के पाटन, विचाराधीन वस्तु के कथित पाटन के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को हुई परिणामी क्षति तथा ऐसी क्षति और पाटित आयातों के बीच कारणात्मक संबंध के संबंध में आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्यों के आधार पर संतुष्ट होने के पश्चात, पाटनरोधी नियमावली के नियम 5 के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क के अंतर्गत, प्राधिकारी संबद्ध देश में मूल अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन वस्तु के संबंध में पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव को निर्धारित करने तथा पाटनरोधी शुल्क की ऐसी उचित राशि की सिफारिश करने हेतु पाटनरोधी जांच की एतद्द्वारा शुरुआत करते हैं, जिसे यदि लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी।

झ. प्रक्रिया

25. इस जांच में पाटनरोधी नियमावली के नियम 6 में निर्धारित प्रावधानों का पालन किया जाएगा।

ञ. शुल्कों को पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू करना

26. आवेदक ने निम्नलिखित दावों के आधार पर पाटनरोधी शुल्क को पूर्वव्यापी प्रभाव से लगाने का अनुरोध किया है:

- संबद्ध देश से इस उत्पाद के पाटन का स्पष्ट इतिहास रहा है।
- भारत में आयातक इस तथ्य से भली-भांति अवगत हैं कि निर्यातक भारत में विचाराधीन वस्तु का पाटन कर रहे हैं। आयातकों को यह भी ज्ञात है कि इस प्रकार की प्रक्रिया से भारतीय उत्पादकों को क्षति होगी।
- निर्यातकों ने बड़े पैमाने पर पाटन का सहारा लिया है और जांच अवधि के दौरान पाटन मार्जिन निरंतर काफी अधिक बना रहा है।
- जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के निष्पादन में तेजी से गिरावट आई है।

27. प्राधिकारी इस अधिसूचना में दी गई समय-सीमा के अनुसार इस संबंध में हितबद्ध पक्षकारों के विचार/टिप्पणियां मांग सकते हैं।

ट. सूचना प्रस्तुत करना

28. सभी हितबद्ध पक्षकारों को सेतु पोर्टल (<https://setu.dgtr.gov.in>) पर अपना पंजीकरण कराना अनिवार्य है। हितबद्ध पक्षकारों के सभी पत्र और अभ्यावेदन उनके पंजीकृत नाम और संबंधित सेतु मामला पहचान संख्या- एडी/ओआई/045/2026 के अंतर्गत सेतु पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोधों का विवरणात्मक भाग पीडीएफ/एमएस-वर्ड प्रारूप में हो तथा डेटा फाइलें एमएस-एक्सेल प्रारूप में खोजे जाने योग्य हों।

29. संबद्ध देश के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, भारत स्थित उनके दूतावास के माध्यम से संबद्ध देश की सरकार, और भारत में विचाराधीन वस्तु से संबद्ध माने जाने वाले आयातकों तथा प्रयोक्ताओं को अलग से सूचित किया जा रहा है ताकि वे इस जांच शुरुआत अधिसूचना में उल्लिखित समय-सीमा के भीतर सभी प्रासंगिक जानकारी प्रस्तुत कर सकें। ऐसी सभी जानकारी इस जांच शुरुआत अधिसूचना, नियमावली और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचनाओं द्वारा निर्धारित प्रपत्र और ढंग से प्रस्तुत की जानी चाहिए।

30. कोई भी अन्य हितबद्ध पक्षकार इस जांच शुरुआत अधिसूचना में उल्लिखित समय-सीमा के भीतर इस जांच शुरुआत अधिसूचना, नियमावली और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचनाओं द्वारा निर्धारित प्रपत्र और ढंग से वर्तमान जांच से संबंधित अपना अनुरोध प्रस्तुत कर सकता है।

31. प्राधिकारी के समक्ष कोई भी गोपनीय अनुरोध करने वाले पक्षकार के लिए यह आवश्यक है कि वह अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उसका अगोपनीय संस्करण

उपलब्ध कराए।

32. हितबद्ध पक्षकारों को सलाह दी जाती है कि वे इस जांच के संबंध में किसी भी अद्यतन जानकारी के लिए व्यापार उपचार महानिदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट www.dgtr.gov.in और सेतु पोर्टल (<https://setu.dgtr.gov.in>) पर नियमित रूप से नजर रखें। हितबद्ध पक्षकारों को यह निर्देश भी दिया जाता है कि वे विचाराधीन जांच में होने वाली आगामी प्रगति से अवगत रहने तथा प्रश्नावली प्रारूपों, पीसीएन पद्धति, पीसीएन चर्चा/बैठक कार्यक्रम, मौखिक सुनवाई की सूचना, शुद्धिपत्र, संशोधन अधिसूचनाओं और ऐसी अन्य जानकारीयों के संबंध में समय-समय पर जारी होने वाली सूचनाओं से अवगत रहने के लिए डीजीटीआर की वेबसाइट (<https://www.dgtr.gov.in/>) का नियमित अवलोकन करते रहें।

ठ. समय-सीमा

33. वर्तमान जांच से संबंधित कोई भी सूचना सेतु पोर्टल (<https://setu.dgtr.gov.in>) पर उनके पंजीकृत नाम और संबंधित केस आईडी – एडी/ओआई/045/2026 के अंतर्गत अपलोड की जानी चाहिए।

34. प्रत्येक अनुरोध के दोनों संस्करण, अर्थात् गोपनीय संस्करण (सीवी) तथा अगोपनीय संस्करण (एनसीवी), घरेलू उद्योग द्वारा दायर आवेदन के अगोपनीय संस्करण को प्राधिकारी द्वारा परिचालित किए जाने अथवा पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 6(4) के अनुसार निर्यातक देश के उपयुक्त राजनयिक प्रतिनिधि को प्रेषित किए जाने की तिथि से 37 दिनों के भीतर निर्धारित कालमों में अपलोड किए जाने अनिवार्य हैं। यदि निर्धारित समय-सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना अपूर्ण पाई जाती है, तो प्राधिकारी रिकार्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर तथा पाटनरोधी नियमावली, 1995 के प्रावधानों के अनुरूप अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

35. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा यह सलाह दी जाती है कि वे वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) से अवगत कराएं और इस अधिसूचना में यथा निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रश्नावली का अपना उत्तर केवल सेतु पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत करें।

36. विचाराधीन उत्पाद/पीसीएन पद्धति के दायरे के संबंध में टिप्पणियां प्रस्तुत करने की 15 दिनों की अवधि इस जांच शुरुआत अधिसूचना के उपर्युक्त पैरा 34 में

उल्लिखित समय-सीमा के साथ-साथ चलेगी।

37. पीयूसी/पीसीएन के संशोधन के कारण समय-विस्तार: यदि प्राधिकारी बाद की किसी अधिसूचना के माध्यम से पीयूसी और पीसीएन में ऐसा संशोधन करते हैं जो पहले प्रस्तावित नहीं था या जाँच शुरुआत अधिसूचना से भिन्न है, तो 15 दिनों का समय-विस्तार प्रदान किया जाएगा। यह 15 दिनों का समय विस्तार संशोधित पीयूसी और पीसीएन की ऐसी अधिसूचना की तारीख से दिया जाएगा। इस पैरा में उल्लिखित 15 दिनों का समय-विस्तार उन मामलों में लागू नहीं होगा जहां जांच की शुरुआत के बाद पीयूसी और पीसीएन कार्यपद्धति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(4) के अनुरूप, आपवादिक परिस्थितियों को छोड़कर, 15 दिनों के विस्तार (यदि दिया गया हो) से अधिक समय-विस्तार के अनुरोधों पर सामान्यतः विचार नहीं किया जाएगा।

38. समय-सीमा बढ़ाने के किसी भी अनुरोध को संबंधित पक्षकारों द्वारा ऊपर निर्दिष्ट मूल अंतिम तिथि से कम से कम एक दिन पहले सेतु पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इस समय के बाद प्रस्तुत किए गए अनुरोधों पर विचार नहीं किया जाएगा।

ड. गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

39. वर्तमान जाँच में यदि कोई पक्षकार प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध प्रस्तुत करता है या गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करता है, तो ऐसे पक्षकार को नियमावली के नियम 7(2) के अनुसार और इस संबंध में प्राधिकारी द्वारा जारी संगत व्यापार सूचनाओं के अनुसार ऐसी सूचना का एक अगोपनीय अंश भी प्रस्तुत करना आवश्यक है। इसका पालन नहीं करने पर उत्तर/अनुरोध को अस्वीकार किया जा सकता है।

40. प्रश्नावली के उत्तर सहित प्राधिकारी के समक्ष कोई अनुरोध (उनमें संलग्न परिशिष्टों/अनुबंधों सहित) करने वाले पक्षकारों को गोपनीय और अगोपनीय अनुरोध अलग-अलग प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

41. ऐसे अनुरोधों पर प्रत्येक पृष्ठ पर स्पष्ट रूप से "गोपनीय" या "अगोपनीय" अंकित किया जाना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्राधिकारी के समक्ष किए गए किसी भी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा "अगोपनीय" सूचना माना जाएगा, और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोधों का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।

42. गोपनीय अंश में ऐसी समस्त जानकारी शामिल होगी जो स्वाभाविक रूप से गोपनीय है, और/या अन्य जानकारी, जिसके बारे में ऐसी जानकारी का प्रदाता द्वारा गोपनीय होने का दावा किया गया है। ऐसी जानकारी के लिए, जिसके स्वाभाविक रूप से गोपनीय होने का दावा किया गया है, या जिस जानकारी की गोपनीयता का दावा अन्य कारणों से किया गया है, वहां सूचना के प्रदाता को प्रदान की गई जानकारी के साथ एक उचित कारण का विवरण भी प्रस्तुत करना होगा कि ऐसी जानकारी का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है।

43. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत सूचना के अगोपनीय अंश को गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना पर निर्भर रहते हुए अधिमानतः सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई सूचना (जहाँ सूचीबद्ध करना संभव न हो) के गोपनीय अंश की अनुकृति होना अपेक्षित है और ऐसी सूचना को उस सूचना के आधार पर उचित और पर्याप्त रूप से सारांशीकृत किया जाना चाहिए जिसके संबंध में गोपनीयता का दावा किया गया है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए जिससे गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की विषय-वस्तु को उचित ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में, गोपनीय सूचना प्रस्तुत करने वाला पक्षकार यह इंगित कर सकता है कि ऐसी सूचना का सारांशीकरण संभव नहीं है और प्राधिकारी की संतुष्टि के आधार पर पर्याप्त और समुचित स्पष्टीकरण सहित ऐसे कारणों का विवरण प्रस्तुत कर सकता है कि सारांशीकरण क्यों संभव नहीं है।

44. हितबद्ध पक्षकार दस्तावेजों के अगोपनीय अंश के परिचालन की तारीख से 7 दिनों के भीतर दावा की गई गोपनीयता के मुद्दों के संबंध में अपनी टिप्पणियाँ प्रस्तुत कर सकते हैं।

45. प्रस्तुत की गई सूचना की प्रकृति की जाँच के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध आवश्यक नहीं है या यदि सूचना प्रदाता सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्यीकृत या सारांश रूप में इसके प्रकटन को अधिकृत करने के लिए अनिच्छुक है, तो वह ऐसी सूचना को अनदेखी कर सकते हैं।

46. गोपनीयता के दावे के संबंध में नियमावली के नियम 7 और प्राधिकारी द्वारा जारी उचित व्यापार सूचना के अनुसार, उसके सार्थक अगोपनीय अंश या पर्याप्त एवं उचित कारणों के विवरण के बिना प्रस्तुत किए गए किसी भी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकार्ड में नहीं लिया जाएगा।

ढ. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

47. किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा किए गए अनुरोधों के सभी अगोपनीय अंश अन्य हितबद्ध पक्षकारों को सेतु पोर्टल में उनके संबंधित लागिन के माध्यम से उपलब्ध रहेंगे।

ण. असहयोग

48. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर या प्राधिकारी द्वारा इस जाँच शुरूआत अधिसूचना में निर्धारित समयावधि के भीतर आवश्यक जानकारी देने से मना करता है या अन्यथा उसे उपलब्ध नहीं कराता है, या जाँच में अत्यधिक बाधा डालता है, तो प्राधिकारी ऐसे पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जाँच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केंद्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

Digitally signed by
Amitabh Kumar
Date: 22-09-2026
16:28:28

(अमिताभ कुमार)

निर्दिष्ट प्राधिकारी